भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3429
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन का व्यय और प्रभाव

3429. सुश्री इकरा चौधरीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अन्तर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में वर्ष-वार और जिला-वार कुल कितनी निधि आबंटित, जारी और व्यय की गई है तथा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बजट में कटौती/कम उपयोग के क्या कारण हैं;
(ख) उत्तर प्रदेश में जिला-वार कितने ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं और कितने गैर-कार्यात्मक या आंशिक रूप से कार्यात्मक कनेक्शनों की सूचना मिली है और कार्यात्मकता निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;
(ग) उक्त मिशन के अंतर्गत स्थापित थर्ड-पार्टी निरीक्षणों, जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और वास्तविक समय पर निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है तथा परीक्षण की आवृत्ति और रिपोर्टिंग अनुपालन क्या है;
(घ) दीर्घकालिक स्रोत स्थिरता, भू-जल पुनर्भरण और अवसंरचना अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से मापन योग्य स्थिरता संकेतक अपनाए गए हैं; और
(ङ) क्या उक्त मिशन के अंतर्गत विश्वसनीयता, सेवा प्रदायगी मानकों और शिकायत निवारण का आकलन करने के लिए कोई स्वतंत्र मूल्यांकन या निष्पादन लेखापरीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पहचान की गई कमियों को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा (55 एलपीसीडी) में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति

का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया, जिसे अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित किया जाना है।

पेयजल राज्य का विषय है, और इसलिए, जेजेएम के तहत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के शुभारंभ के बाद से इसके तहत उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष-वार और जिला-वार आवंटित कुल धनराशि, जारी की गई राशि और किए गए व्यय का विवरण, जेजेएम-आईएमआईएस डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। जेजेएम-आईएमआईएस डैशबोर्ड का लिंक निम्नलिखित है:- https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

इसके अलावा, मिशन के तहत अनुमोदित लगभग पूरे केंद्रीय हिस्से का उपयोग किया गया है। अब तक हुई प्रगति और चल रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। तदनुसार, जल जीवन मिशन को बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ जारी रखने का एक प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है।

(ख): उत्तर प्रदेश के लिए जिला-वार कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए ग्रामीण परिवारों की संख्या जेजेएम-आईएमआईएस डैशबोर्ड पर उपलब्ध है जो उपर्युक्त लिंक पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि लगभग 10% संसूचित एफएचटीसी पाइपलाइन में क्षति, सड़क चौड़ीकरण, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान और अन्य कारणों से या तो कार्य नहीं कर रहे हैं या आंशिक रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ग): उत्तर प्रदेश राज्य ने उक्त मिशन के अंतर्गत स्थापित तृतीय-पक्ष निरीक्षणों, जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और वास्तविक समय निगरानी तंत्रों के ब्यौरे की सूचना दी है, जिसमें परीक्षण और रिपोर्टिंग अनुपालन की बारंबारता शामिल है, जो निम्नलिखित हैं:

- राज्य जल और स्वच्छता मिशन द्वारा तैनात पांच (5) तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियां। शत-प्रतिशत गुणवत्ता और कार्य की मात्रा का सत्यापन टीपीआई द्वारा किया जाता है। जेजेएम के तहत ठेकेदार को भुगतान तभी किया जाता है जब टीपीआई द्वारा कार्य संतोषजनक पाया जाता है।

- उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) सभी जिलों में रासायनिक और जीवाणु मापदंडों में नियमित परीक्षण के लिए 81 प्रयोगशालाओं (75 जिला, 5 मोबाइल और 1 राज्य-स्तरीय) का संचालन करता है। जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर गांव में एफटीके के माध्यम से नियमित परीक्षण किया जा रहा है और परिणाम को डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

- वर्तमान में, 43 जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यताप्राप्त हैं।

- जेजेएम के तहत ग्रामीण गांवों में लगभग **5,50,845** महिलाओं (प्रति गांव न्यूनतम 5) को स्रोत और सुपुर्दगी बिंदुओं पर पानी का परीक्षण करके जल गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और प्रयोगशालाओं तक लोगों की पहुंच को मामूली शुल्क के लिए सक्षम बनाया गया है।

- योजनाओं के संचालन और रखरखाव की प्रभावी निगरानी के लिए, एक सेंसर/आईओटी/एससीएडीए-आधारित पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से योजनाओं कार्य पद्धति से संबंधित वास्तविक समय डेटा प्राप्त किया जा रहा है, और सेवाओं में किसी भी व्यवधान का तुरंत समाधान किया जाएगा।

- इसी तरह, टोल-फ्री नंबर 18001212164, जल समाधान पोर्टल, जल सारथी ऐप और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं से संबंधित शिकायतें और सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान किया जा रहा है।

(घ): भूजल आकलन समिति-2015 (जीईसी-2015) कार्य प्रणाली के अनुसार केन्द्रीय भूजल बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2022 से उत्तर प्रदेश राज्य सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के गतिशील भूजल संसाधनों का कार्य किया गया है।

2025 के आकलन के अनुसार, उत्तर प्रदेश के लिए कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 73.39 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है और वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 66.97 बीसीएम है। वर्ष 2025 के लिए पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 46.89 बीसीएम अनुमानित किया गया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में कुल 836 आकलन इकाइयों (ब्लॉकों) में से 54 (6.46%) इकाइयों को अतिदोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो वार्षिक रूप से पुनर्भरणीय भूजल की पुन:पूर्ति से अधिक भूजल निकासी को दर्शाता है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि चेक डैम, तालाब/टैंक, खाई, छत पर जल संचयन संरचना, अन्य वर्षा जल पुनर्भरण संरचना, अन्य जल संरक्षण संरचना, जल निकायों का नवीकरण, सोक पिट, स्थिरीकरण तालाब, अन्य पुन: उपयोग/पुनर्भरण संरचना, जल संभरण

विकास जैसे गुली प्लग, परकोलियन टैंक, स्टैगर्ड ट्रेंचिज, अन्य जल संभरण निर्माण और गहन वनीकरण के माध्यम से पुनर्भरण संरचनाओं और जल संरक्षण के प्रयास किए गए हैं।

(ङ): उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा स्वतंत्र निष्पादन लेखा परीक्षा की गई है। इसके अलावा, तीन राजस्व प्रभागों, झांसी, चित्रकूट और गोरखपुर का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी क्रमश बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और वाटरऐड (एनजीओ) द्वारा किया गया है। प्रभाव मूल्यांकन का परिणाम उत्साहजनक पाया गया है। राज्य में डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली भी काम कर रही है। जल समाधान पोर्टल पर टोल फ्री नंबर 18001212164 पर प्राप्त शिकायतों और ग्राम प्रधानों से मिले फीडबैक का तुरंत समाधान किया जा रहा है।

***